**ईओआई संदर्भ संख्या: :-राष्ट्रीय आवास बैंक/एसपीआईजी/डीओसी/2026/00010**

# राष्ट्रीय आवास बैंक की प्रस्तावित आवर्ती जमा योजना के विकास और कार्यान्वयन के लिए
# रुचि की अभिव्यक्ति

**प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक कोर 5-ए,**
**तीसरी मंज़िल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड,**
**नई दिल्ली – 110 003**
**फोन: 011-39187140, 011-39187060, 011-39187113**
**ई-मेल: balaji.prabhu@nhb.org.in; aditya.sharma@nhb.org.in; susanta.padhi@nhb.org.in**

# सूचि

सूचि .....2

1. महत्वपूर्ण ईओआई विवरण .....3
2. राष्ट्रीय आवास बैंक.....4
3. उद्देश्य.....5
4. कार्य का दायरा और प्रमुख डिलिवरेबल्स:.....5
5. अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता खंड.....11

| 1. महत्वपूर्ण ईओआई विवरण | | |
|---|---|---|
| 1. | ईओआई के शुरू होने की तिथि | 27-03-2026 |
| 2. | बोली पूर्व बैठक की तारीख और समय | 06-04-2026 *(समय बाद में सूचित किया जाएगा)* |
| 3. | ईओआई दस्तावेज प्राप्ति की अंतिम तिथि और समय | 13-04-2026 रात 11:59 बजे तक |
| 4. | किसी भी स्पष्टीकरण के लिए संपर्क व्यक्ति | एस.के. पाढ़ी, महाप्रबंधक, राष्ट्रीय आवास बैंक<br>ई-मेल: susanta.padhi@nhb.org.in<br>आदित्य शर्मा, उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय आवास बैंक<br>ई-मेल: aditya.sharma@nhb.org.in<br>बी. प्रभु, क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय आवास बैंक<br>ई-मेल: balaji.prabhu@nhb.org.in |
| 5. | बोली जमा करने का तरीका | ईमेल |
| 6. | ईओआई खोलने का स्थान | राष्ट्रीय आवास बैंक<br>कोर 5ए, चौथी मंजिल,<br>इंडिया हैबिटेट सेंटर<br>लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003 |

नोट:- प्री-बिड मीटिंग में शामिल होने के लिए लिंक बैठक की तारीख से पहले साझा किया जाएगा।

## 2. राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक, एक सांविधिक संस्थान है जो पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है, जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के तहत स्थापित किया गया है।

क राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की गई है -

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सुदृढ़, स्वस्थ, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना और समग्र वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करना।
- विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न आय समूहों को पर्याप्त रूप से सेवा प्रदान करने के लिए समर्पित आवास वित्त संस्थानों के नेटवर्क को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और उन्हें आवास के लिए चैनलाइज़ करना।
- आवास ऋण को और अधिक किफायती बनाने के लिए।
- अधिनियम के तहत प्राप्त प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना।
- आवास के लिए निर्माण योग्य भूमि की आपूर्ति में वृद्धि को प्रोत्साहित करना और देश में आवास स्टॉक का उन्नयन करना।
- सार्वजनिक एजेंसियों को आवास के लिए सेवित भूमि के सुविधाकर्ता और आपूर्तिकर्ताओं के रूप में उभरने के लिए प्रोत्साहित करना।

ख राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है और क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं।

ग राष्ट्रीय आवास बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से राष्ट्रीय आवास बैंक की प्रस्तावित आवर्ती जमा योजना को संभालने के लिए एक समाधान विकसित करने और उसे लागू करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है।

घ इच्छुक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (इस दस्तावेज़ में "बोलीदाता" के रूप में संदर्भित) अपने आवेदन को अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पीडीएफ प्रारूप में, केवल ईमेल द्वारा, 13 अप्रैल, 2026 तक, रात 11:59 बजे तक ऊपर उल्लिखित ईमेल आईडी पर जमा कर सकते हैं। हार्ड कॉपी बाद में केवल पात्र बैंकों से एकत्र की जाएगी।

ङ ईमेल का विषय "**रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आवेदन (ईओआई) - राष्ट्रीय आवास बैंक की प्रस्तावित आवर्ती जमा योजना का विकास और कार्यान्वयन**" होना चाहिए। ईमेल में अधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और बैंक का पूरा विवरण और अधिकृत व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। (निर्दिष्ट कटऑफ तिथि और समय-सीमा के बाहर/उसके बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विचार नहीं किया जाएगा)।

च ईओआई के संबंध में किसी भी प्रश्न/स्पष्टीकरण पर ईओआई जमा करने के अंतिम दिन (यानी 08.04.2026) से पहले या उससे पहले ऊपर उल्लिखित ईमेल आईडी पर मेल के माध्यम से विचार किया जाएगा, और यदि इसका समाधान नहीं होता है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक एक बैठक बुला सकता है और बैठक की सूचना ईमेल के माध्यम से अलग से साझा की जाएगी। इसके अलावा, बैंक कार्य दिवसों और कार्यालय समय (यानी सुबह 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक) के दौरान ऊपर बताए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

## 3. उद्देश्य

- राष्ट्रीय आवास बैंक का आवर्ती जमा योजना को लागू करने का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य लोगों को एक विशिष्ट अवधि के लिए धन बचाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसे बाद में बैंकों/ आवास वित्त कंपनियों आदि से आवास ऋण प्राप्त करने के लिए मार्जिन मनी के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जमाकर्ता को आवास ऋण का विस्तार प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों के विवेक के अधीन होगा।
- इस उद्देश्य के लिए, राष्ट्रीय आवास बैंक जमाकर्ता की आवर्ती जमा खाता खोलने से लेकर इसे बंद करने तक की यात्रा को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए एक वेब एप्लिकेशन विकसित करने का इरादा रखता है। इस संबंध में, राष्ट्रीय आवास बैंक ने ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने और एक नए डिजिटल-फर्स्ट ऑपरेटिंग मॉडल के तहत आवर्ती जमा (आरडी) के संग्रह को सक्षम करने के लिए पूरी तरह से डिजिटल, स्केलेबल और अनुपालन ढांचा स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इस पहल का उद्देश्य ग्राहक अनुभव को बढ़ाने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और नियामक निरीक्षण को मजबूत करने के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल इकोसिस्टम प्रदान करना है।
- प्रस्तावित समाधान प्रत्यक्ष और भागीदार-नेतृत्व वाले वितरण का समर्थन करेगा, भारतीय डेटा रेजीडेंसी के साथ सुरक्षित डेटा हैंडलिंग सुनिश्चित करेगा, और निवेश विवरण, विवरण और ट्रांजेक्शन इतिहास तक वास्तविक समय की पहुंच के माध्यम से ग्राहकों को पारदर्शिता प्रदान करेगा।

## 4. कार्य का दायरा और प्रमुख डिलिवरेबल्स:

4.1 कार्य का दायरा राष्ट्रीय आवास बैंक की प्रस्तावित आवर्ती जमा योजना के लिए एक समाधान विकसित करना और कार्यान्वित करना है जिसमें व्यक्तिगत जमाकर्ता की ऑनबोर्डिंग, केवाईसी उचित जांच, भुगतान गेटवे, ब्याज की गणना, लेखांकन और समाधान, एमआईएस तैयार करना आदि शामिल हैं।

4.2 निजी क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर में होस्ट किए गए एक उत्तरदायी वेब एप्लिकेशन (मोबाइल, एंड्रॉइड और

आईओएस दोनों सहित) विकसित और डिज़ाइन करना जो एंड-टू-एंड प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहिए।

4.3 प्रस्तावित समाधान डब्लुसीएजी 2.0 सिफारिशों के अनुरूप होना चाहिए

4.4 प्रदान किए गए समाधान को लेखांकन सुलह आदि के उद्देश्य से राष्ट्रीय आवास बैंक की एसएपी प्रणाली के साथ एकीकृत करने में सक्षम होना चाहिए।

4.5 डेटा प्रवाह में, लागू होने वाले विनियामक/सूचना सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुपालन में, उचित एन्क्रिप्शन होना चाहिए। प्रस्तावित समाधानों के कार्यान्वयन में सभी सुरक्षा उपायों और सुरक्षा ऑडिट की आवश्यकताओं पर विचार किया जाना चाहिए। बोलीदाता को समाधान से संबंधित किसी भी पहचानी गई सुरक्षा भेद्यता को बिना किसी अतिरिक्त लागत के ठीक करना होगा।

4.6 सभी ग्राहक और लेन-देन का डेटा, विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप, भारत के भीतर ही रहेगा।

4.7 एप्लिकेशन को ट्रांजिट में डेटा के एन्क्रिप्शन की अनुमति देनी चाहिए और एसएसएल या एन्क्रिप्शन की या किसी भी प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करना चाहिए। इसके अलावा, इसे एईएस 256-बिट एन्क्रिप्शन मानक के साथ आराम से टोकन या एन्क्रिप्ट किया जाना चाहिए:

- एन्क्रिप्शन की को एचएसएम/वॉल्ट में संग्रहीत किया जाना चाहिए और पहुंच प्रतिबंधित और लॉग की जानी चाहिए।
- लॉग या कैश में कोई भी व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी (PII) सादे टेक्स्ट के रूप में उजागर नहीं होनी चाहिए।

4.8 समाधान को ट्रांज़िट में डेटा के लिए टीएलएस 1.3 लागू करना चाहिए।

4.9 समाधान को ऑडिट उद्देश्यों के लिए सभी लेनदेन के लिए एक लॉग और रिपोर्ट बनाए रखनी चाहिए।

4.10 इस मॉड्यूल की रिपोर्टिंग को डैशबोर्ड मॉड्यूल के साथ एकीकृत किया जाएगा।

4.11 एप्लिकेशन को समवर्ती तरीके से इंटरनेट पर डेटा प्रस्तुत करने में सक्षम होने के लिए डिजाइन और अनुकूलित किया जाना चाहिए।

4.12 एप्लिकेशन हाई अवेलेबिलिटी पर उपलब्ध होना चाहिए।

4.13 समाधान को 99.99% का अपटाइम प्रदान करना चाहिए।

4.14 समाधान को अद्यतन नियामक दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी नियामक दिशानिर्देश का पालन करने के लिए आवश्यक कोई भी अनुकूलन बोलीदाता द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रदान किया जाएगा।

4.15 यूजर इंटरफेस के यूआई/यूएक्स को एक अच्छा उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करना चाहिए जैसे ड्रैग ड्रॉप इमेज, मोबाइल कैमरा का उपयोग करके कैप्चर करने का विकल्प।

4.16 समाधान निम्नलिखित करने में सक्षम होना चाहिए:

- **संभावित जमाकर्ता की ऑनबोर्डिंग**

  - योजना के मापदंडों के अनुसार विवरण प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन आवर्ती जमा आवेदन पत्र तैयार करना
  - इनपुट के आधार पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार सीकेवाईसी, डिजिलॉकर, एनपीसीआई ई-केवाईसी सेतु आदि के माध्यम से केवाईसी उचित जाँच करना।
  - सीकेवाईसी/डिजिलॉकर, एनपीसीआई ई-केवाईसी सेतु आदि से प्राप्त विवरण के साथ प्रदान किए गए विवरणों की जांच करें।
  - ग्राहक की लाइव (सेल्फी) तस्वीरें कैप्चर करें और फेस मैच करना
  - सीकेवाईसी के तहत ऑटो-फ़ेच किए गए डेटा से किसी भी पैरामीटर में परिवर्तन के मामले में, जमाकर्ता को प्रमाण के रूप में अन्य ओवीडी को अपलोड/पुन: अपलोड करने में सक्षम बनाएं। समाधान दस्तावेज़ की गुणवत्ता, वर्गीकरण पर कुछ जांच करने में सक्षम होना चाहिए।
  - प्रमाण के रूप में ओवीडी अपलोड करने के मामले में, जमाकर्ता द्वारा दर्ज किए गए विवरण के साथ डेटा का ओसीआर सत्यापन सक्षम करना ।
  - सीकेवाईसी/सीईआरएसएआई विनिर्देश और प्रक्रिया प्रवाह का अनुपालन सुनिश्चित करना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी है, और समाधान को सीकेवाईसी से संबंधित प्रक्रिया प्रवाह के लिए आवश्यक सभी क्षमताओं को सक्षम करना चाहिए और वास्तविक समय प्रसंस्करण को सक्षम करना चाहिए। सीकेवाईसी से संबंधित प्रक्रिया को निर्बाध रूप से पूरा करने के लिए प्रत्येक चरण में स्वचालन, अनुकूलन और सत्यापन होना चाहिए।
  - समाधान में जहां आवश्यक हो वहां आईटी फॉर्म 60 कैप्चर होगा।
  - यदि व्यक्तिगत जमाकर्ता का सीकेवाईसी मौजूद नहीं है, तो समाधान को केवाईसी को उचित जाँच को सक्षम करने के लिए वैकल्पिक केवाईसी सत्यापन पद्धति प्रदान करनी चाहिए। केवाईसी प्रक्रिया के सफल समापन पर, ग्राहक के लिए नया सीकेवाईसी नंबर बनाने के लिए सीकेवाईसी को रिकॉर्ड अपलोड करें।
  - केवाईसी डेटा में अपडेट के मामले में सीकेवाईसी पोर्टल पर ग्राहक केवाईसी अपलोड करने के सभी पहलुओं को भी समाधान को संभालना चाहिए।

- फॉर्म पर जमाकर्ता का आधार आधारित ई-साइन सक्षम करें
- सभी प्रक्रिया के सफल समापन पर एक अद्वितीय आवर्ती जमा संख्या बनाएं।
- जमाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए बैंक खाते के विवरण का पेनी ड्रॉप सत्यापन/पेनी-लेस सत्यापन करें
- किस्त की आवधिक जमा राशि के लिए भुगतान अधिदेश बनाने में सक्षम बनाना।
- समाधान के माध्यम से जमा का भुगतान सक्षम करें
- खातों के निर्माण, भुगतान आदि के लिए आवश्यक सत्यापन करना।

- **जमा की सर्विसिंग**

  - उस जमाकर्ता के लिए लॉगिन बनाएं जिसने सफलतापूर्वक आवर्ती जमा खाता खोला है।
  - समाधान लॉगिन के लिए दो कारक प्रमाणीकरण परिनियोजित करना चाहिए
  - वेब/मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भुगतान सक्षम करें
  - आवश्यक प्रमाणीकरण के साथ जमाकर्ता द्वारा किसी भी संपर्क जानकारी को अद्यतन करने को सक्षम करें। इस तरह के अद्यतन को सीकेवाईसी रजिस्ट्री में भी अद्यतन किया जाना चाहिए।
  - भुगतान की तारीख के आधार पर अनुबंधित दर पर त्रैमासिक आवृत्ति पर ब्याज की गणना करना।
  - योजना के प्रावधान के अनुसार न्यूनतम या अधिकतम भुगतान की जांच करना
  - दैनिक आधार पर बैंक के साथ भुगतान समाधान
  - अनुरोध के आधार पर खाते का विवरण जनरेट करें
  - समय से पहले निकासी का अनुरोध और दस्तावेज़ अपलोड
  - अपनी शाखाओं के माध्यम से भुगतान, खाते का विवरण आदि जैसी सेवाएँ प्रदान करना
  - विलंबित भुगतान और समय से पहले निकासी पर जुर्माना, यदि कोई हो, की गणना करना
  - योजना के मापदंडों के आधार पर जमा राशि निकालने का विकल्प प्रदान करना
  - परिपक्वता पर अधिकृत बैंक खाते में भुगतान करना
  - जमाकर्ताओं को सेवा अनुरोध/शिकायतें आदि दर्ज करने में सक्षम बनाना।

- **समाधान और राष्ट्रीय आवास बैंक के अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म का एकीकरण**

  - एप्लिकेशन को राष्ट्रीय आवास बैंक के अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म (एसएपी) के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए
  - जमाकर्ताओं द्वारा दैनिक आधार पर बैंक के साथ किए गए भुगतानों का मिलान करना

- अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म के साथ एंट्रीज़ का स्वचालित मिलान करना। (ब्याज गणना, अंतर्वाह, बहिर्वाह आदि सहित)

- **राष्ट्रीय आवास बैंक या ऐसे किसी भी अधिकृत एजेंट तक पहुंच प्रदान करना**

  - राष्ट्रीय आवास बैंक या ऐसे किसी भी अधिकृत एजेंट को लॉगिन प्रदान करना। लॉगिन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर आधारित होना चाहिए।
  - जमा आवेदन की स्वीकृति/केवाईसी सुधार, यदि कोई हो
  - प्रभावी तिथि के साथ जमा दर अपडेट करना
  - जमा सृजन, प्राप्तियों, परिपक्वता, डिफॉल्ट, जुर्माना, आदि के आधार पर विभिन्न एमआईएस तैयार करना।
  - आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार जमाकर्ता का री-केवाईसी शुरू करना
  - योजना मापदंडों के संदर्भ में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा खातों को जबरन बंद करने में सक्षम बनाना।
  - ग्राहकों के सेवा अनुरोध/शिकायतों का उत्तर
  - समय से पहले निकासी के अनुरोध की प्रक्रिया

- **होस्टिंग और आईटी संचालन**

  - भारत में डेटा रेजीडेंसी के साथ एक निजी क्लाउड पर एप्लिकेशन को होस्ट करना
  - प्रबंधित सेवाएं प्रदान करना जिनमें शामिल हैं:
    - बुनियादी ढांचा और एप्लिकेशन प्रबंधन
    - यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त अनुकूलन।
    - सुरक्षा निगरानी
    - बैकअप और आपदा पुनर्प्राप्ति
    - लेखापरीक्षा टिप्पणियों का अनुपालन

4.17 समाधान की पेमेंट गेटवे सेवा को एक ही समय पर, विभिन्न स्थानों से ट्रांज़ैक्शन करने वाले अनेक उपयोगकर्ताओं को सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

4.18 समाधान को लेनदेन के प्रमाण के रूप में प्रमाणित रसीदें उत्पन्न करनी चाहिए। भुगतान की एक स्वचालित रसीद भुगतानकर्ता/प्राप्तकर्ता को ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।

4.19 समाधान को उपयोगकर्ता को अंतिम सबमिशन से पहले शुल्कों की समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए। ट्रांज़ैक्शन शुल्क, यदि कोई हो, अलग से दिखाएं।

4.20 भुगतान की गई राशि बोलीदाता द्वारा पारगमन के दौरान नहीं रखी जानी चाहिए। वित्तीय लेन-देन सीधे स्रोत को जमा किया जाना चाहिए।

4.21 समाधान में प्रेषित निधियों की पहचान और मिलान के लिए विस्तृत एमआईएस रिपोर्ट होनी चाहिए।

4.22 समाधान को आईटी अधिनियम, आरबीआई दिशानिर्देशों, डीपीडीपी अधिनियम अन्य प्रासंगिक मानकों के दिशानिर्देशों सहित लागू कानूनी नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

4.23 बोलीदाता के पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आर्किटेक्चर होना चाहिए।

4.24 बोलीदाता ग्राहक डेटा की गोपनीयता और डेटा की अखंडता की रक्षा के लिए पर्याप्त नियंत्रण सुनिश्चित करेगा।

4.25 बोलीदाता के पास डिवाइस या एप्लिकेशन एन्क्रिप्शन, अंतिम उपयोगकर्ता डेटा के भंडारण जैसे ग्राहक डेटा नियंत्रणों की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन तंत्र होगा।

4.26 बोलीदाता के पास एन्क्रिप्शन का उचित स्तर होना चाहिए और डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में सुरक्षा लागू की जाएगी।

4.27 बोलीदाता डिजिटल भुगतान उत्पादों और सेवाओं में एप्लिकेशन, डेटाबेस और प्रेजेंटेशन लेयर को अलग-अलग करते हुए, मल्टी-टियर एप्लिकेशन आर्किटेक्चर लागू करेगा।

4.28 धोखाधड़ी वाले ट्रांज़ैक्शन को कम करने के लिए भुगतान सेवाओं को धोखाधड़ी स्क्रीनिंग टूल प्रदान करना चाहिए।

4.29 सभी भुगतान मुद्दों (असफल ट्रांज़ैक्शन की वापसी सहित) को 2 दिनों की अवधि के भीतर हल किया जाएगा (सप्ताहांत या सार्वजनिक छुट्टियों के बावजूद)।

4.30 सफल बोलीदाता अनुबंध की पूरी अवधि के लिए प्राधिकरण लॉग, गैर-अस्वीकृति लॉग और लेनदेन रिकॉर्ड बनाए रखेगा

4.31 सभी रिकॉर्ड आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन प्रक्रियाओं के अनुसार रखे जाएंगे। सभी प्रक्रियाएं केंद्र / राज्य / स्थानीय कानूनों /आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगी।

4.32 सफल बोलीदाता यह प्रमाणित करेगा कि ऑनलाइन वित्तीय लेन-देन सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन और एक मानक पब्लिक-और प्राइवेट-की एन्क्रिप्शन प्रणाली पर आधारित होंगे, जो उपयोगकर्ता द्वारा सबमिट किए गए निजी वित्तीय डेटा को उनके वेब ब्राउज़र से बाहर जाने से पहले एन्क्रिप्ट कर देती है।

4.33 डेटा ट्रांसमिशन के दौरान तब तक एन्क्रिप्टेड रहना चाहिए, जब तक कि वह सुरक्षित रूप से उस निर्धारित सर्वर पर प्राप्त न हो जाए, जहाँ उसे डिक्रिप्ट और प्रोसेस किया जाता है।

4.34 बोली लगाने वाले के पास सोर्स कोड के लिए एक एस्क्रो व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि यदि वेंडर चूक करता है या सेवाएँ प्रदान करने में असमर्थ रहता है, तो सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।

## 5. अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता खंड

राष्ट्रीय आवास बैंक और बोलीदाता के बीच एक " अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता " पर हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता है। यदि उप-अनुबंध की अनुमति दी जाती है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक, बोलीदाता और उप-ठेकेदार के बीच अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। यह राष्ट्रीय आवास बैंक और बोलीदाताओं और/या उप-ठेकेदारों के बीच एक बाध्यकारी समझौता है। इस समझौते के तहत, बोलीदाता एक निर्दिष्ट तरीके से कार्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ सहमत हैं।

संभावित बोलीदाताओं द्वारा अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता पर हस्ताक्षर करना बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक पूर्व-योग्यता है, हालांकि, अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता पर हस्ताक्षर करने से बोलीदाता को अनुबंध देने की गारंटी नहीं मिलती है। अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता को सफल बोलीदाता को दिए जाने वाले अनुबंध का एक हिस्सा माना जाता है। अनुबंध पूर्व सत्यनिष्ठा समझौते का प्रारूप **अनुलग्नक-I** के अनुसार होगा।

इस संबंध में, राष्ट्रीय आवास बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से श्री जोजनेश्वर शर्मा, (ईमेल आईडी: sharmajo@gmail.com) और श्री राजेंद्र मोहन श्रीवास्तव (ईमेल आईडी: aaremes@yahoo.com) को सत्यनिष्ठा समझौते के लिए स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौते में उल्लिखित प्रतिबंधों का सेट एक बोलीदाता द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं या उपक्रमों के किसी भी उल्लंघन के लिए अखंडता समझौते के तहत लागू किया जाएगा।

बोली लगाने वालों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे एक कंपनी आचार संहिता (जिसमें रिश्वत और अन्य अनैतिक व्यवहार के उपयोग को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया गया हो) तथा इस आचार संहिता के कार्यान्वयन हेतु एक अनुपालन कार्यक्रम रखें।

*-x-x-x-*

**(किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा)**
**अनुलग्नक के लिए अंग्रेजी दस्तावेज का संदर्भ लें**